संख्या- 53 /2022/1945 /54-2002-099-7-2022

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2022**

विषय:-अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0129-आधार नामांकन किट की व्यवस्था (के-60/रा0-40-के0+रा0) के मानक मद-42-अन्य व्यय में पुनर्विनियोजन के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या -339/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 14 जुलाई, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0129-आधार नामांकन किट की व्यवस्था (के0-60%/रा0-40%-के0+रा0) के मानक मद -42-अन्य व्यय" में रु0 1221.90 लाख एवं "89-केन्द्रय प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8929-आधार नामांकन किट की व्यवस्था के मानक मद-42-अन्य1 व्यय" में रु0 814.60 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु0 2036.50 लाख (रुपया बीस करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराते हुए एस0एन0ए0 खाते में स्थानान्तरित कर उपभोग करने हेतु वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. क्रय की गयी किट बाल विकास परियोजना कार्यालय पर स्थापित की जायेंगी, जो आधार नामांकन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। आधार नामांकन किट का क्रय/आपूर्ति जेम पोर्टल पर उपलब्ध नियम/शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. एक आधार नामांकन किट में डेस्कटाप/लैपटाप कम्प्यूटर/टैबलेट (बच्चों के लिए), स्कैनर, प्रिंटर, स्लैप फिंगरस्ट्रिप स्कैनर, आइरिस स्कैनर एवं जी0पी0एस0 डिवाइस रहेगी।

3. प्रत्येक आधार नामांकन किट एक डेस्कटाप आधारित एक लैपटाप आधारित एवं एक टैबलेट आधारित (बच्चों के लिए) के साथ-साथ स्कैनर, प्रिंटर, स्लैप फिंगरस्ट्रिप स्कैनर, आइरिस स्कैनर एवं जी0पी0एस0 डिवाइस का क्रय किया जायेगा।

4. जी0एफ0आर0-2017 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा तथा UIDAI द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आधार नामांकन किट की सभी सामग्री का क्रय GEM पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5. आधार नामांकन किट का क्रय एवं स्थापना प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2023 तक अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा।

6. आधार नामांकन किट का उपयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी डी0बी0टी0 योजनाओं के सभी लाभार्थियों के आधार नामांकन के लिए किया जायेगा।

7. यह अनुदान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी डी0बी0टी0 योजनाओं के लिए आधार नामांकन क्रय के अनावर्तक व्यय के लिए है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. अनुदान सहायता इस शर्त के अधीन है कि जब योजना बंद अथवा समाप्त कर दी जायेगी, तब सम्पत्तियों के निपटारे से प्राप्त रसीद या स्वीकृति के एक हिस्से को पूंजीगत लागत में सम्बन्धित शेयरों के साथ सरकार के बीच अनुपात में साझा किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

10. धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

11. उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

12. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

13. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

14. स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

15. उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

16. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 एवं शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।

18. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

19. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

20. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0129-आधार नामांकन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

किट की व्यवस्था (के0-60%/रा0-40%-के0+रा0) के मानक मद-42-अन्य-व्यय" एवं "89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8929-आधार नामांकन किट की व्यमवस्था के मानक मद-42-अन्य, व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी.एम.-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित आर.ई संख्या-बजट-1-23 दिनांक 20-07-2022 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 53/2022/1945 (1)/54-2002-099-7-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।